



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001
फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ ३०

बिलासपुर, दिनांक ०७-०१-२०२१

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : Proposed for non-forestry use of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding

पंजीयन क्रमांक FP/CG/REHAB/42779/2019

संदर्भ : आपका पत्र क्र./मा.चि./2276 दिनांक 11.12.2020 एवं वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल का पत्र क्र./तक./02, दिनांक 04.01.2021

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा रकबा 255.300 हेक्ट. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 07 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी वनमण्डलाधिकारी मुंगेली के द्वारा प्रेषित की गई है, अतः वनमण्डलाधिकारी मुंगेली से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसंशा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- ३।

1. मुख्य वन संरक्षक, और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी मुंगेली की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
दिनांक /०७-०१-२०२१

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
दिनांक /०७-०१-२०२१

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल, मुंगेली(छ.ग.)

Email:-dfo.mungeli@cg.gov.in

फॉर्मान्क/मा.प्रै./ ०२

/2020/मुंगेली/दिनांक ०४/०१/२०२१

संक. कोटि.

प्रति,

मुख्य वन रांक्षक
बिलारापुर वृत्ता, बिलारापुर (छ.ग.)

मुख्य वन संरक्षक
विलारापुर वृत्ता, बिलारापुर (छ.ग.)
०५/०१/२१

विषय :- Proposed for non-forestry use of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation

Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for
Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in
Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding

संदर्भ— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), अरण्य भवन, नया रायपुर का पत्र क्र.

/व.प्रा./प्रबंध-56/4601 नवा, रायपुर, दिनांक 22.12.2020।


उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी का पृ.क्र./स्टेनो/3620 दिनो 31.12.2020

—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, विरापानी, छिरहटा रक्का 255.300 हेक्ट. वन भूमि का वन रांक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 07 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान उप संचालक/अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी से प्राप्त कर निम्नानुसार हैः—

1. Proposal involves relocation of total 133 families for which an area of 255.300 ha. of forest land been proposed for rehabilitation of three villages. Details area calculation statement i.e. forest area proposed for allotment per family and basis of calculation relied thereof and purpose wise breakup of the area proposed for various amenities has not been reported in the proposal.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, विरापानी, छिरहटा के 133 परिवारों (विकल्प-I के तहत 22 परिवार तथा विकल्प-II के तहत 111 परिवार प्रस्तावित) का व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित भूमि व्यपर्वर्तन प्रस्ताव के पेज क्रमांक 13 में व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल के संबंध में विवरण अंकित है तथा पेज क्रमांक 16 के बिन्दु क्रमांक 03 में आवश्यक भूमि के संबंध में विवरण अंकित है। प्रति परिवार 2.3 है। भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रति परिवार 2.00 है। कृषि भूमि तथा 0.3 है। मकान, बाड़ी एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित की गई है।



2. The state Govt. may also intimate, if area proposed for various components of rehabilitation has been rationalized based on certain standardized parameters prescribed/developed in this regard are requirement of proposed area is arbitrary based on the observation and estimation of the state officials.

National Tiger Conservation Authority Ministry of Environment & Forest Government of India के पत्र क्र./ F.No. 3-1/2003-PT(relocation) Dated February 2008 द्वारा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम विस्थापन हेतु standard parameters निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, विरापानी एवं छिरहटा के 133 परिवारों का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया है, गाईडलाइन की छायाप्रति संलग्न हैं।

3. In the first phase, six villages have been reported to be relocated from the ATR. Detail area where six villages have been relocated in first phase, forest area, if any, involved an prior approval obtained, etc has not been mentioned in the proposal. Status of relocation done from ATR so far, may be submitted along with maps may be submitted by the state.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में 25 वनग्राम थे, जिसमें प्रथम चरण में 6 वनग्रामों जल्दा, कूवा, बहाउड़, बांकल, बोकराछार, सांभरधसान के 249 परिवारों का व्यवस्थापन कार्य वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में किया गया। इन वनग्रामों का व्यवस्थापन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार विकल्प-2 के तहत किया गया, जिसमें प्रति परिवार 2.00 हे. कृषि भूमि प्रदाय की गई है एवं प्रति परिवार आवंटित 0.3 हे. में से उपलब्ध भूमि में मुलभूत सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, शाला भवन, सिंचाई साधन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन इत्यादि तैयार कर व्यवस्थापित किया गया।

व्यवस्थापित ग्राम, परिवार संख्या एवं स्थल का विवरण निम्नानुसार है:-

विस्थापित वनग्राम	परिवार संख्या	व्यवस्थापित स्थल का विवरण			प्रति परिवार व्यय राशि (लाख में)
		परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल	
जल्दा	74	लोरमी	550	170.200	740.00
कूवा	22	गौरेला	1215, 1216	50.600	220.00
बहाउड़	68	खुड़िया	498	156.400	680.00
बांकल	30	खुड़िया	496	69.000	300.00
बोकराकछार	38	खुड़िया	496	87.400	380.00
सांभरधसान	17	खुड़िया	496	39.100	170.00
योग -	249	-	-	572.700	2490.00

4. The state Govt. is requested to confirm if the proposal is in compliance of guidelines dated 22.05.2019 issued by the MoEF & CC which, inter alia, provides that area proposed for rehabilitation should be equal to the area proposed to be vacated from the Protected area. Compliance of said Guidelines by the state Govt. cannot be ascertained as the detail of area proposed to be vacated has not been provided in the proposal. The same needs to be provided by the state along with its differential GPS and KML/Shape files. Further, Total area of villages to be relocated, falling in Core/Buffer Area of ATR along with the legal status of land may also be indicated.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलाइडबरा, बिरपानी एवं छिरहटा के ग्रामीणों द्वारा रिक्त की जा रही वनभूमि का विवरण ग्रामवार निम्नानुसार हैः—

Village – Tilaidabara

(a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Chhaparwa
(b)	Name of Village	Tilaidabara
	Name of Beat	Tilaidabara
	Compartment No.	365/366
(c)	Total Area of above Compartment	267.503 / 299.474 = 566.977 Hac.
	Affected area by Villager	457.51 Ha.
	Total Area of Village to be Rehabilitated	457.51 Ha.
	Cultivation Field	4.219 Ha.
	House and Badi	50.701 Ha.
	Community Uses	100.806 Ha.
	Allotted to Grazing	267.503
	Road and Canal	34.281 Ha.
	Total:-	457.51 Ha.

Village - Birarpani

1 (a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Lamni
1 (b)	Name of Village	Birarpani
	Name of Beat	Birarpani

	Compartment No.	304
1(c)	Total Area of above Compartment	254.95 hac.
	Affected area by Villager	59.80 Hac.
	Total Area of Village to be Rehabilitated	59.80 Hac.
	Cultivation Field	52.00 Ha.
	House and Badi	1.30 Ha.
	Community Uses	5.20 Ha.
	Allotted to Grazzing	75.55 Ha.
	Road and Canal	1.3 Ha.
	Total:-	254.95 Ha.

Village – Chhirhatta

1 (a)	Name of Tiger Reserve	Achanakmar Tiger Reserve
	Name of Range	Lamni
1 (b)	Name of Village	Chhirhatta
	Name of Beat	Chhirhatta
	Compartment No.	342
1(c)	Total Area of above Compartment	251.315 hac.
	Affected area by Villager	59.80 Hac.
	Total Area of Village to be Rehabilitated	59.80 Hac.
	Cultivation Field	52.00 Ha.
	House and Badi	1.30 Ha.
	Community Uses	5.20 Ha.
	Allotted to Grazzing	71.91 Ha.
	Road and Canal	1.3 Ha.
	Total:-	251.315 Ha.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल विवरण निम्नानुसार हैं : -

व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल एवं व्यपर्वत्तन के लिये आवश्यक भूमि की

विस्तृत विवरण

क्र.	व्यवस्थापन हेतु चयनित वनग्राम	व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल का विवरण						
		जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (ह.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र
1.	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2.	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3.	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
						Total -	-	255.300

अतः अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के ग्रामीणों द्वारा कुल 963.775 हे. वनभूमि रिक्त की जा रही हैं, जिसके एवज में कुल 255.300 हे. वनभूमि व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित की गई हैं जो कि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा रिक्त की जा रही वनभूमि से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वनभूमि से कम हैं।

5. As per earlier proposal, a total of five villages were to be relocated from the ATR while the extant proposal envisages relocation of three villages only, status of relocation of remaining two villages needs to be intimated by the state.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन के द्वितीय चरण में पूर्व में 5 ग्राम क्रमशः सारसडोल, राजक, तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 365 परिवारों का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा पूर्व में चयनित स्थल पर व्यवस्थापित होने से सहमति नहीं होने के कारण ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों को व्यवस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

6. Comments of the state on the requirement of forest land proposad earlier for relocation of five villages needs to be furnished. In case the forest land proposed in the old proposal is not required by the state, the same needs to be withdrawn by the state. Comments in this regard needs to be obtained from the state.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से द्वितीय चरण में 05 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा, सारसडोल एवं राजक का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया था, विवरण बिन्दू क्रमांक 05 अनुसार हैं, जिनमें से 02 ग्राम क्रमशः सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा चयनित स्थल पर व्यवस्थापन होने से इन्कार किया गया। पुनः ग्राम सारसडोल के ग्रामीणों द्वारा वन विकास निगम बिलासपुर के कोटा परिक्षेत्र अंतर्गत दक्षिण करपिहा परिसर के कक्ष क्रमांक 126,127,131 आर.एफ. का चयन किया गया हैं जो कि आगामी चरण में व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित हैं। ग्राम राजक के ग्रामीणों द्वारा व्यवस्थापन हेतु अब तक कोई स्थल चयन नहीं किया गया हैं।

7. R&R Plan proposed to be implemented for the rehabilitation of the villagers from the ATR may be submitted by the State Govt.

National Tiger Conservation Authority Ministry of Environment & Forest Government of India के पत्र क्र./ F.No. 3-1/2003-PT(relocation) Dated Febuary 2008 द्वारा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम विस्थापन हेतु standard parameters निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों (विकल्प-I के तहत 22 परिवार तथा विकल्प-II के तहत 111 परिवार प्रस्तावित) का व्यवस्थापन प्रस्ताव (R&R Plan) तैयार कर राष्ट्रीय व्याघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय व्याघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 4-1 (36) 2017-PT Dated 30.11.2017 द्वारा उक्त तीन ग्रामों तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों का व्यवस्थापन हेतु राशि 1330.00 लाख स्वीकृति प्रदान किया गया। जिसमें प्रथम चरण में रु. 1070.00 लाख विमुक्त किया गया। जिसमें रु. 0.50 लाख व्यय किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/(भू-प्रबंध)/विविध 115-81/923 दिनांक 26.03.2018 द्वारा ग्राम सारसडोल, राजक, तिलईडबरा, छिरहट्टा एवं बिरारपानी के वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के समक्ष पुनः नवीन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व्यय/1161 दिनांक 05.04.2018 द्वारा शेष राशि 1069.50 लाख को सरेन्डर किया गया तथा ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का भूमि व्यपवर्तन नवीन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली, बुनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)

पृ0क्र0/मा.चि./2021/ 03

मुंगेली/दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि :— (1)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) छ.ग., रायपुर की ओर
संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

(2)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू—प्रबंध) छ.ग., रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के पालन
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

(3)

मुख्य वन संरक्षक, और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

(4)

उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी की ओर उनके संदर्भित पत्र के
तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

मुंगेली/बनमण्डलमुंगेली (छ.ग.)